संख्या–6269 / 9–आ–5–2000

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–5 लखनऊः दिनाँक – 02 फरवरी, 2000

विषय : वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व निष्प्रयोज्य–वाहनों की नीलामी एवं प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन–सम्बन्धी प्रस्तावों में विचार कर निर्णय लिये जाते समय नये वाहन के क्रय सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाती है किन्तु जिस वाहन को प्रतिस्थापित किया जाना है, उसके निष्पादन की कार्यवाही के अन्तर्गत वाहन की नीलामी सम्बन्धी औचारिकतायें पूर्ण किये जाने व नीलामी सम्पूर्ण कराकर तत्सम्बन्धी प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने की कार्यवाही को तत्परता से पूर्ण नहीं किया जाता है।

2. अतएव वाहनों के प्रतिस्थापन सम्बन्धी समस्त प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर स्वीकृति दिये जाते समय यह भी व्यवस्था की जाये कि नये वाहन हेतु स्वीकृत राशि के आहरण के समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इस बात का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाये कि निष्प्रयोज्य वाहन की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नीलामी करा दी गयी है और प्राप्त राशि (विक्रय राशि) को राजकोष में जमा कर दिया गया है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

दीन दयाल
संयुक्त सचिव